07/02/25

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र 022 R3 CPC एवं 06 R17 CPC दिनांक 14/10/2020 को इस न्यायालय को समक्ष प्रस्तुत किया है। कार्यालय ने ~~आपत्ति~~ प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल पत्रावली के बारे में आपत्ति करते हुए मूल पत्रावली का न्यायालय में प्राप्त नहीं होना अवगत कराया है। वकील प्रार्थी ने भी मूल पत्रावली के बारे में कोई जानकारी नहीं होना कथन किया। अतः मूल पत्रावली के अभाव में इस प्रार्थना पत्र पर कोई भी कार्यवाही संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। मूल पत्रावली न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः कार्यवाही हेतु प्रार्थी स्वतन्त्र होगा। पत्रावली में मूल शुल्क होकर पश्चिल धमतर दी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)